



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255710
CG-DL-E-24072024-255710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2819]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2024/श्रावण 2, 1946

No. 2819]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2024/SHRAVANA 2, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2956(अ.).—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) की धारा 20ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तम्बाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को फसल सीजन 2023-2024 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी मंचों से मात्र सामान्य लागू सेवा प्रभार का भुगतान करने पर आंध्र प्रदेश राज्य के पंजीकृत उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की नीलामी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी मंचों से खरीद की अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

2. वर्ष 2024 के लिए तम्बाकू फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की प्रति प्रस्तुत की जानी है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/ पार्ट]

मोनिका गौर, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2956(E).—In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at their auction platforms in the State of Andhra Pradesh for the auctions during Crop Season 2023-2024, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers in the State of Andhra Pradesh on the payment of normal applicable service charge only.

2. A copy of the Record of Rights in respect of tobacco crop for the year 2024 is to be furnished.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

MONICA GAUR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2024

का.आ. 2957(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और यतः केन्द्रीय सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14 (ए) की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2023-24 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान जनहित में ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी (एग्री-VI)/ पार्ट]

मोनिका गौर, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2024

S.O. 2957(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to relax the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

AND WHEREAS the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess flue cured virginia tobacco of registered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Andhra Pradesh for the auctions during the crop season 2023-2024, and permits the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

MONICA GAUR, Dy. Secy.